भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3141
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

3141. श्री राहुल गांधी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन या संबंधित परिचालनों में भाग लेने के लिए परिचालनगत, अनुमत, पैनलबद्ध, लाइसेंस प्राप्त, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित या विचाराधीन सभी निजी क्षेत्र की घरेलू और विदेशी संस्थाओं, का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना स्थल, प्रस्तावित क्षमता, स्वामित्व संरचना, विदेशी इक्विटी भागीदारी और परिचालन शुरू होने की समय-सीमा सहित ऐसी प्रत्येक संस्था को दिए गए अनुमोदन के चरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी निजी संस्थाओं और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच किए गए समझौतों, समझौता ज्ञापनों, संयुक्त उद्यमों या रणनीतिक साझेदारियों की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(घ) संप्रभु गारंटी, व्यवहार्यता अंतर निधियन, दीर्घकालिक विद्युत खरीद व्यवस्था और देयता के आवंटन सहित ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित वित्तीय मॉडल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी प्रत्येक निजी या विदेशी प्रतिभागी के संबंध में दी गई या लंबित नियामक मंजूरी, सुरक्षा जांच और पर्यावरणीय अनुमोदनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम, 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसे दिनांक 21 दिसंबर, 2025 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। तथापि, वर्तमान में अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने का कार्य प्रगतिशील है। इसलिए, अधिनियम के नियमों और विनियमों को निर्धारित करने के बाद ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र उद्यमियों की भागीदारी सक्षम हो पाएगी।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र लागू नहीं।

*****